भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2319
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

कुलपतियों की नियुक्ति पर यूजीसी मसौदा विनियम, 2025

†2319. श्री मुरसोली एस.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सहित राज्य विधायिकाओं द्वारा पारित उन संकल्पों पर ध्यान दिया है जिनमें यूजीसी मसौदा विनियम, 2025 को इस आधार पर वापस लेने की मांग की गई है कि वे कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य की स्वायत्तता का अतिक्रमण करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के समाधान के लिए कोई सुधारात्मक या परामर्शी उपाय किए गए हैं अथवा कोई संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्र सरकार का, शिक्षा के समवर्ती सूची का विषय होने के मद्देनजर, उक्त विनियमों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों के साथ संरचनात्मक परामर्श या विचार-विमर्श करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का विचार है कि भविष्य में उच्चतर शिक्षा विनियामक ढांचे में सहकारी संघवाद और केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की संतुलित भागीदारी प्रतिबिंबित हो; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा समवर्ती सूची में एक विषय है और संसद और राज्य विधानसभा दोनों के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं। भारत के संविधान की अनुसूची VII की प्रविष्टि 66 सूची-I के अनुसार, "उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण" के लिए कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार

में निहित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 1956 की धारा 26 (1) (ई) यूजीसी को 'उन अर्हताओं को परिभाषित करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार देती है जो आमतौर पर विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों के लिए नियुक्त किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से आवश्यक होनी चाहिए, शिक्षा की शाखा को ध्यान में रखते हुए जिसमें उससे निर्देश देने की अपेक्षा की जाती है'। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 26 (1) (जी) यूजीसी को 'मानकों के रखरखाव और विश्वविद्यालयों में कार्य या सुविधाओं के समन्वय को विनियमित करने' के लिए विनियम बनाने का अधिकार देती है।

यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे पर परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, सभी राज्यों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से परामर्श किया गया और इसे सभी राज्यों के सभी प्रमुख सचिवों (उच्च शिक्षा), सभी राज्य उच्च शिक्षा परिषदों, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और उद्योग निकायों के अध्यक्षों के साथ भी साझा किया गया। यूजीसी ने फीडबैक, सुझावों और व्यापक परामर्श के लिए दिनांक 6 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक सार्वजनिक डोमेन में यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2025 का मसौदा रखा। यूजीसी को मसौदा विनियमों पर प्रतिक्रिया मिली है। हितधारकों से प्राप्त भारी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ): यूजीसी मसौदा विनियम 2025 उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय मानकों और राज्य की स्वायत्तता को संतुलित करके भारत की संघीय संरचना को दृढ़ता से बनाए रखता है और मजबूत करता है। इन विनियमों को विभिन्न राज्यों के विविध शैक्षिक रुपरेखाओं का सम्मान करते हुए अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। यूजीसी विनियम 2025 का मसौदा राज्यों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है।

विनियम न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों को राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए, संकाय नियुक्तियों और पदोन्नति के लिए न्यूनतम मानकों से अधिक अपने स्वयं के अतिरिक्त मानदंड तैयार करने की अनुमति देते हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं, भारतीय ज्ञान परंपराओं और सामुदायिक सहभागिता संरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए मसौदा विनियमों में प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य-विशिष्ट प्राथमिकताओं की रक्षा की जाए।

****